बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0स0 :–2/अ0प्र0–2–09/2021 43 /पटना, दिनांक :– 14-9-22

नालन्दा जिला अंतर्गत हरनौत, नगरनौसा, चंडी, अस्थावां एवं हिलसा प्रखंडों में विभिन्न शीर्ष अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं का पाँच निरीक्षण दलों द्वारा दिनांक 19.02.2021 को किये गये स्थल निरीक्षण में कार्य प्रमंडल, हरनौत अंतर्गत डेंगरापर से सैदपुर पथ में पाई गई अनियमितताओं के आलोक में कार्यालय आदेश संख्या–08 सह–पठित ज्ञापांक–445 दिनांक 25.02.2021 द्वारा श्री रवि कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत, कार्य प्रशाखा, नगरनौसा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया।

2. उक्त आरोपों पर श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 735 अनु0 दिनांक 16.06.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक शून्य दिनांक 28.06.2021 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकृत करते हुए कार्यालय आदेश संख्या–45 सह–पठित ज्ञापांक–1426 दिनांक 30.09.2021 द्वारा इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त कर दिया गया।

3. श्री कुमार, कनीय अभियंता के पत्रांक शून्य दिनांक 31.12.2021 द्वारा निलंबन अवधि के विनियमन हेतु आवेदन विभाग को समर्पित किया गया। तद्‌ालोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री रवि कुमार, कनीय अभियंता दिनांक 25.02.2021 से दिनांक 29.09.2021 तक निलंबित रहे एवं जिन आरोपों पर श्री कुमार को निलंबित किया गया था, उक्त आरोपों के संबंध में श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकृत किया गया है।

4. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11(3) एवं (4) के तहत श्री रवि कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत, कार्य प्रशाखा, नगरनौसा सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर के निलंबन अवधि को निम्न प्रकार से विनियमित किया जाता है :–

(i) निलंबन अवधि दिनांक 25.02.2021 से दिनांक 29.09.2021 तक अनुमान्य पूरे वेतन एवं भत्ते का भुगतान देय होगा, परन्तु ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन–निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जाएगा।

(ii) आलोच्य निलंबन अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

13/9/22

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org, E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com,&secy-reo-bih@nic.in
E:/2021/Aaropmukt

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–2–09/2021 1523 /पटना, दिनांक :– 14-9-22

प्रतिलिपि:– कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/9/22
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–2–09/2021 1523 /पटना, दिनांक :– 14.9.22

प्रतिलिपि:– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालंदा/मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हरनौत/कार्यपालक अभियंता, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी–4, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री रवि कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत, कार्य प्रशाखा, नगरनौसा सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/9/22
अभियंता प्रमुख